उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या- 124 /2015/5055 /92-1-2015-92सीडब्लू/2014,
लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राधेश्याम पाण्डेय, से0नि0 सहायक अभियंता द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष योजित निर्देश याचिका सं0-151/2013 राधेश्याम पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को मा0 अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये आदेश दिनांक 03-01-2014 पारित किया गया, जिसका संगत अंश निम्नवत है :-

"13. In view of the above mentioned case laws when the impugned punishment order is scrutinized it is found that it has been passed without adverting to the contents and important points raised in reply of the petitioner and giving a sermblance of indication of application of mind by passing the impugned punishment order, therefore, there is no escape from the conclusion that the order of punishment was passed by the disciplinary authority without complying the mandate of the relevant rules which provide that for good and sufficient reasons the penalty can be imposed.

14. As regards interest on payment of salary for the suspension period it is clear from the perusal of the record that this relief is not liable to be accepted firstly on the ground that it constituted a separate cause of action and it could not have been clubbed for quashing of censure entry. Secondly, the delay occurred due to procodural formality.

In view of the above discussion. I am of the view that the claim petition descrves to be allowed .

ORDER

The claim petition is partly allowed. The impugned punishment order dated 19.6.2012 contained in Annexures no.1 to the claim petition is hereby quashed. The opposite parties are directed to consider the case of petitioner for grant of ACP in view of relevant G.O. dated 4.5.2010. The order shall be complied by the opposite parties within three months from the date a certified copy is presented before them.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

There shall be no order as to costs."

2- मा0 अधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में दण्डादेश दिनांक 19-06-2012 को शासन के आदेश सं0-4829/92-2014-36रिट/2013, दिनांक 14-12-2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया और कार्यालय-ज्ञाप सं0-5517/92-2014-92सीडब्लू/2014, दिनांक 01-01-2015 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 05-2-2015 में याची श्री राधेश्याम पाण्डेय के सेवा अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त ए0सी0पी0 विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-14 की व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के आलोक में शासनादेश दिनांक 05-11-2014 में निहित व्यवस्थानुसार श्री राधेश्याम पाण्डेय, से0नि0 सहायक अभियंता को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्थगित रखने की संस्तुति की गयी है। चूंकि ए0सी0पी0 विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-5-2010 को वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 द्वारा अवक्रमित किया जा चुका था। अत: दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के आलोक में स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये याची श्री राधेश्याम पाण्डेय को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने का निर्णय स्थगित रखे जाने के सम्बन्ध में स्वत: स्पष्ट आदेश कार्यालय-ज्ञाप सं0-818/92-1-2015-92सीडब्लू/2014, दिनांक 18-2-2015 पारित किया गया।

3- निर्देश याचिका सं0-151/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-01-2014 का अनुपालन न किये जाने के संदर्भ में याची श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका सं0-197/2014 राधेश्याम पाण्डेय बनाम श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य योजित की गयी। संदर्भित अवमानना याचिका में प्रतिवादी सं0-5 की ओर से उपरोक्तानुसार किये गये अनुपालन के अनुसार अनुपालन आख्या भी दिनांक 27-5-2015 को दाखिल करा दी गयी।

4- मा0 अधिकरण द्वारा संदर्भित अवमानना याचिका में दिनांक 08-10-2015 को सुनवाई की गयी और प्रतिवादी सं0-5 (तत्कालीन प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन) की ओर से दाखिल करायी गयी अनुपालन आख्या को स्वीकार न करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किये गये :-

"याची के विद्वान अधिवक्ता, श्री वी0के0 यादव एवं विपक्ष के विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री जय कुमार के तर्क सुने गये। अनुपालन आख्या दिनांक 27-3-2015 एवं 18-02-2015 का अवलोकन किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 03-01-2014 में स्पष्ट प्राविधान था कि याची को ए0सी0पी0 का लाभ देने हेतु शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के परिपे्रक्ष्य में कन्सीडर किया जाय। आदेश दिनांक 18-2-2015 देखने से प्रतीत होता है कि याची को शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के परिप्रेक्ष्य में कन्सीडर न कर, शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के परिप्रेक्ष्य में कन्सीडर किया गया और उसके बारे में निर्णय स्थगित रखा गया। यह अनुपालन अधिकरण के आदेश के अनुरूप नहीं है। अत: अनुपालन आख्या दिनांक 27-3-2015 निरस्त की जाती है। विपक्षी सं0-6 को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय/आदेश दिनांक 03-01-2014, जो निर्देश याचिका सं0-151/2013 में पारित किया गया है, के अनुसार अनुपालन आख्या 4 सप्ताह में दाखिल करें।

दिनांक 19-11-2015 को सूचीबद्ध हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस आदेश की एक प्रति विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री जय कुमार को प्रदान की जाय।"

5- मा0 अधिकरण द्वारा संदर्भित अवमानना याचिका में पुन: दिनांक 19-11-2015 को सुनवाई के उपरान्त निम्नवत आदेश पारित किया गया :-

"श्री जय कुमार, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने 04 सप्ताह का समय इस अनुरोध के साथ मांगा कि आदेश दिनांक 03-01-2014 एवं आदेश पत्र पर पारित आदेश दिनांक 08-10-2015 का अनुपालन शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के परिप्रेक्ष्य में "कन्सीडर" किया जा सके। अत: 04 सप्ताह का समय अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु दिया जाता है।

दिनांक 21-12-2015 को प्रस्तुत हो।

इस आदेश की प्रतिलिपि श्री जय कुमार, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नि:शुल्क दी जाय।"

6- चूंकि शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 01-01-2015 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में स्क्रीनिंग कमेटी निदेशक एवं मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित है। अत: संदर्भित अवमानना याचिका सं0-197/2014 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2015 एवं 19-11-2015 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के परिप्रेक्ष्य में पुन: विचार कर याची श्री राधेश्याम पाण्डेय को ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की पुनर्सस्तुति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध शासन के पत्र सं0-4889/92-1-2015-92सीडब्लू/2014, दिनांक 30-11-2015 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से किया गया। इस सम्बन्ध में अनुस्मरण पत्र दिनांक 11-12-2015 भी प्रेषित किया गया।

7- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-806/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/ए0सी0पी0/2015-16, दिनांक 16-12-2015 द्वारा शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 01-01-2015 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की पुन: दिनांक 04-12-2015 को बैठक आहूत कर स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया। संदर्भित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 04-12-2015 में उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा याची श्री राधेश्याम पाण्डेय की चरित्र प्रविष्टियों, अनुशासनिक कार्यवाही एवं दण्डों आदि से सम्बन्धित अभिलेखों पर विचार किया गया। श्री पाण्डेय की वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक चरित्र प्रविष्टियाँ अप्राप्त हैं एवं इनके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों एवं दण्डों का विवरण निम्नवत है :-

(1) शा0सं0-5715/62-3-98-4आ0/94, दि0 22-12-98 द्वारा प्रचलित अनु0कार्य0 में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1804/62-3-2001-4आ/94, दिनांक 27-3-2001 द्वारा श्री पाण्डेय को उक्त जांच में निम्नवत दण्डित किया गया :-

(क) श्री राधेश्याम पाण्डेय को सेवा से पदच्युत किया जाए।

(ख) विभिन्न कार्यो में अनियमित एवं फर्जी भुगतान के फलस्वरूप हुई शासकीय क्षति रू0 17347427-00 तथा रू0 2049960-00 की अनावश्यक सामग्री क्रय से हुई शासकीय क्षति की वसूली उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति से की जाय।

रिट याचिका सं0-7133/2001 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 25-5-2001 के अनुपालन में याची को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-890/62-3-2002-40डब्लू/01, दि0 02-5-2001 द्वारा सेवा में बहाल करते हुये मुख्यालय से सम्बद्ध किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया तथा शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2153/62-3-2002-40डब्लू/2001, दि0 27-6-2002 द्वारा श्री एन0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता बरेली को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया।

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-920/62-3-2005-40डब्लू/2001, दिनांक 21-02-2005 द्वारा श्री राधे श्याम पाण्डेय, प्रभारी अधि0अभि0 को निलम्बित करते हुये सेवा से पदच्युत किया गया।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-408/62-3-2008-40डब्लू/2001, दि0 24-01-2008 द्वारा रिट या0सं0-1213(एस/बी)/2006 राज्य बनाम श्री राधेश्याम पाण्डेय में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन परिणामिक लाभों के साथ श्री पाण्डेय को सेवा में बहाल किया गया।

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-802/62-3-2011-40डब्लू/2001, दि0 28-02-2011 द्वारा रिट या0सं0-1213(एस/बी)/2006 राज्य बनाम श्री राधेश्याम पाण्डेय में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन नि0या0सं0-575/09 में पारित मा0 अधिकरण के निर्णय दि0 11-6-10 के अनुपालन में श्री पाण्डेय की पदच्युत अवधि 21-2-05 से 24-01-08 तक वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।

(2) शा0 सं0-712/62-3-03-161नियम/2000, दि0 13-01-2003 द्वारा संस्थित अनु0कार्य0 के विरूद्ध योजित नि0या0सं0-1018/2007 में पारित मा0 लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दि0 15- 4-13 द्वारा उपरोक्त जांच की जांच आख्या दि0 29-3-2004 को निरस्त करते हुये आदेशित किया गया कि उक्त आदेशों के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाय और याची को सेवानैवृत्तिक देयकों का नियमानुसार भुगतान 03 माह में किया जाय।

(3) शा0सं0-1390/दि0 26-5-1999 द्वारा प्रचलित अनु0कार्य0 में शासकीय क्षति की वसूली हेतु भदोही में दीवानी वाद योजित है।

नि0या0सं0-1355/2010 में पारित मा0 लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दि0 28-01-2013 द्वारा आरोप-पत्र दि0 26-05-1999/संदर्भित अनुशासनिक कार्यवाही को इग्नोर करते हुए याची को सेवा लाभ 03 माह में प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्देश याचिका सं0-1355/2010 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका सं0-517(एस0बी0)/2015 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-4-2015 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश को अग्रेतर आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

(4) आदेश सं0-4413(5)/62-3-2010-122आरई/99, दिनांक 04-12-2000 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(5) कार्यालय ज्ञाप सं0-3056/62-7-95-4आ/94, दिनांक 21-2-1995 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-2158(2)/62-3-2003-04आ/94, दिनांक 18 मई, 2003 द्वारा वर्ष 2003-04 के लिये परिनिन्दित किये जाने के दण्ड के साथ समाप्त किया गया।

(6) आदेश सं0-4852/62-3-2007-14आरई/05, दिनांक 15-10-2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- समिति द्वारा याची श्री राधेश्याम पाण्डेय के उपरोक्तानुसार सेवा अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत संस्तुति की गयी :-

"शासनादेश सं0-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-5-2010 को वर्तमान में शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के द्वारा अवक्रमित किया जा चुका है, परन्तु समिति द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन लखनऊ के निर्णय दिनांक 08-10-2015 के समादर में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 04-5-2010 में निहित व्यवस्था के अनुसार श्री राधेश्याम पाण्डेय से0नि0 सहायक अभियंता को देय तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, स्वीकृति हेतु समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय किया गया कि शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के अनुसार तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के पात्रता हेतु द्वितीय ए0सी0पी0/समयमान-वेतनमान अर्थात् दिनांक 15-7-2000 से 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण नहीं होती है अत: समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने एवं वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक की चरित्र प्रविष्टियाँ अप्राप्त होने के कारण ए0सी0पी0 हेतु पात्र नहीं पाये गये।"

9- उल्लेखनीय है कि ए0सी0पी0 विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-5-2010 में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये समयमान-वेतनमान की कोई सामान्य अथवा कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू रही हो, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देये लाभ के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2118/दस-62(एम)/2008, दिनांक 22-12-2011, (उक्त शासनादेश भी वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05-11-2014 द्वारा अवक्रमित किया जा चुका है।) के प्रस्तर-2 के उप्रपस्तर-2 में निम्नवत किया गया है :-

"पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान-वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्गो के लिये 12/16/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01-12-2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01-12-2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुये उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।"

10- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-6 में निम्नवत प्राविधान हैं :-

"यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी, जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की व्यवस्था शासित होती है। अत: ऐसे मामले उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों एवं तद्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।"

11- ए0सी0पी0 विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04-5-2010 के प्राविधानों के आलोक में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 04-12-2015 में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा याची श्री राधेश्याम पाण्डेय के सेवा अभिलेखों पर विचार किये जाने के उपरान्त ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु उनकी सेवाओं को संतोषजनक न पाते हुये उन्हें तृतीय ए0सी0पी0 हेतु पात्र न पाये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त संस्तुतियों से भिन्न निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार श्री राधेश्याम पाण्डेय, से0नि0 सहायक अभियंता की सेवायें संतोषजनक न होने के आधार पर उन्हें तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य नहीं है।

निर्देश याचिका सं0-151/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-01-2014 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-818/92-1-2015-92सीडब्लू/2014, दिनांक 18-02-2015 को, अवमानना याचिका सं0-197/2014 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2015 एवं 19-11-2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा निरस्त करते हुये याची श्री राधेश्याम पाण्डेय, से0नि0 सहायक अभियंता को ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सकारण एवं स्वत: स्पष्ट (Reasoned and Speaking Order) आदेश पुन: पारित किया जाता है।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-124 /2015/5055(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- श्री राधेश्याम पाण्डेय, से0नि0 सहायक अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव!

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in